कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रारं./SIQE/19513/2019/ 1361 दिनांक : 04/09/19

परिपत्र

विषय :– SIQE के अन्तर्गत लेब विद्यालय के सुदृढीकरण एवं विकास के संबंध में।

निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अनुसार राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु SIQE कार्यक्रम के अन्तर्गत सीसीई, सीसीपी एवं एबीएल आधारित शिक्षण प्रक्रिया संचालित है। शासन से प्राप्त निर्देशानुसार सभी जिलों में SIQE की क्रियान्विति के मद्देनजर लेब विद्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं विकास किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में वर्ष 2017–18 से प्रतिवर्ष 6–6 (3 आदर्श एवं 3 उत्कृष्ट) विद्यालयों का चयन किया गया है। इसी क्रम में वर्ष 2019–20 हेतु भी दिशा–निर्देशानुसार 6 विद्यालयों का चयन किया जाना है। चयनित विद्यालयों को डाइट संकाय सदस्यों द्वारा संबंलन प्रदान किया जाता है।

इन विद्यालयों को नियमित संबंलन प्रदान करते हुए Center of Excellence विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना है। डाइट द्वारा चयनित विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, सहायक निदेशक स्कूल शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा), अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान, सहायक परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान तथा कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा एवं संदर्भ व्यक्ति समग्र शिक्षा अभियान द्वारा भी समय–समय पर अवलोकन के दौरान इन विद्यालयों को संबंलन प्रदान किया जावें।

इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा/प्रारं/एसआईक्यूई/19509/2019/1354 दिनांक 19.08.2019 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार लेब विद्यालयों का अवलोकन करते हुए आकलन प्रपत्र के माध्यम से संबंलन प्रदान किया जावें। साथ ही विद्यालय अवलोकन (शाला सम्बलन) को भी शाला दर्पण पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।

डाइट द्वारा वर्ष 2019–20 हेतु चयनित विद्यालयों की सूची **दिनांक 09.09.2019** तक संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा के माध्यम से निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के SIQE अनुभाग की मेल आईडी **siqerajasthan.state2@gmail.com** पर निम्नांकित प्रारूप में **एक्सल शीट** (Font DevLys 010, Font Size 14) मय हस्ताक्षरित प्रति भिजवाना सुनिश्चित करें।

प्रपत्र – "क"

वर्ष 2019–20 हेतु लेब विद्यालय के रूप में चयनित विद्यालयों की मय प्रभारी सूची

जिला ....

डाइट के लेब विद्यालय प्रभारी का नाम व मोबाइल नं. ....

क्र. सं.	चयनित लेब विद्यालय का नाम मय ब्लॉक	डाइस कोड	कक्षा 1 से 5 का नामांकन	संस्थाप्रधान का नाम	मोबाइल नं.	प्रभारी अधिकारी का नाम	मोबाइल नं.	विशेष विवरण
1								
2								
3								
4								
5								
6								

प्रतिमाह अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के अवलोकन/संबंलन के उपरान्त शाला सम्बलन प्रपत्र शाला दर्पण एवं आकलन प्रपत्र निदेशालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए ऑनलाइन लिंक (http://tinyurl.com/siqe-assessment-2018) पर अपलोड किया जावें। इन लेब विद्यालयों में RTE-2009 के तहत निर्धारित Comprehensive and Continous Evaluation, Child Centered Padagogy and Activity Based Learning की क्रियान्विति सुनिश्चित की जावें।

संलग्न : लेब विद्यालय दिशा–निर्देश।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

(ओम कसेरा)
IAS
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती
राज (प्रा.शि.) विभाग, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रारं./SIQE/19513/2019/1361 दिनांक : 04/09/19

प्रतिलिपिः–

1. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक प्रा.शि./मा.शि., राजस्थान, बीकानेर।
5. निजी सहायक, निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
7. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को भेजकर लेख है कि अधीनस्थ जिलों के डाइट द्वारा चयनित विद्यालयों की सूची निर्धारित प्रारूप में समेकित करते हुए निर्धारित तिथि तक भिजवाना सुनिश्चित करें तथा समय–समय पर उक्त विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर संबंलन प्रदान करें।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा को भेजकर लेख है कि आपके जिले की डाइट के द्वारा चयनित विद्यालयों की सूची अनुमोदित कर निर्धारित तिथि तक भिजवाना सुनिश्चित करें।
9. समस्त प्राचार्य डाइट को भेजकर लेख है कि परिपत्रानुसार चयनित विद्यालयों की सूची मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा से अनुमोदित करवाकर निर्धारित तिथि तक भिजवाना सुनिश्चित करें।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा को भेजकर लेख है कि परिपत्रानुसार चयनित विद्यालयों को संबंलन प्रदान करवाया जाना सुनिश्चित करें।
11. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान को भेजकर लेख है कि परिपत्रानुसार चयनित विद्यालयों को संबंलन प्रदान करवाया जाना सुनिश्चित करें।
12. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा को भेजकर लेख है कि परिपत्रानुसार अपने ब्लॉक के लेब विद्यालयों की मॉनिटरिंग करते हुए संबंलन प्रदान करें।
13. सहायक निदेशक, कम्प्यूटर अनुभाग प्रा.शि./मा.शि. राज. बीकानेर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करवाते हुए शाला दर्पण पर भी प्रदर्शित करवाएं।
14. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती
राज (प्रा.शि.) विभाग, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

फोन नम्बर : 0151-2226562 email ID : siqerajasthan.state2@gmail.com

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/SIQE/19513/दिशा-निर्देश/2019-20/1360 दिनांक : 04/09/19

एस.आई.क्यू.ई. के अन्तर्गत लेब विद्यालय संचालन हेतु दिशा-निर्देश

प्रस्तावना:-

राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में विगत वर्षों से कक्षा 1 से 5 तक एस.आई.क्यू.ई. कार्यक्रम के अन्तर्गत सीसीई, सीसीपी एवं एबीएल आधारित शिक्षण प्रक्रिया का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के प्रभावी संचालन से विद्यालयों में सीखने-सिखाने की प्रक्रियाओं में प्रगति दिखाई देती है। यह प्रगति सभी विद्यालयों में एक जैसी नहीं हो पायी है। इसी कारण शिक्षकों के सतत् प्रशिक्षणों से शिक्षण विधा में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु शिक्षकों के अध्ययन एवं अध्यापन के लिए समय-समय पर संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। बच्चों के साथ किए जाने वाले कार्य को व्यवस्थित करने के लिए शिक्षकों को शिक्षण अधिगम योजना बनाने के लिए प्रारूप उपलब्ध कराए गए हैं। शिक्षण प्रक्रिया को बाल केंद्रित बनाने में सहयोग हेतु बच्चों की शैक्षिक प्रगति को संधारित करने के लिए शिक्षकों को दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए हैं। विद्यालयों एवं शिक्षकों को सतत् संबलन देने के लिए विद्यालयों का अवलोकन किया जा रहा है तथा क्लस्टर पर विषय आधारित कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। शिक्षा में सकारात्मक बदलाव एक लम्बी प्रक्रिया है। नये तरीकों को सीखने और अभ्यास द्वारा कार्य का स्वाभाविक हिस्सा बनाने में समय लगता है। कक्षा-कक्ष में सीखने सिखाने की प्रक्रिया बदलने के लिए आवश्यक है कि कार्य योजना में बदलाव करते हुए कक्षा-कक्षीय शिक्षण को प्रभावी बनाया जाए।

लेब विद्यालय की अवधारणा:-

एसआईक्यूई के अन्तर्गत सीसीई, सीसीपी एवं एबीएल के सफल क्रियान्वयन हेतु ऐसे विद्यालयों को विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जहाँ जिले की डाइट शैक्षिक नवाचार कर सके। इन नवाचारों से प्राप्त सकारात्मक प्रायोगिक अनुभवों को दूसरे विद्यालयों के लिए अभिप्रेरणा के रूप में उपयोग किया जाए। इन विद्यालयों को **लेब विद्यालय** के नाम से जाना जाएगा। प्रत्येक जिले में लेब विद्यालय बेहतर नामांकन से युक्त हो एवं पर्याप्त भौतिक संसाधनयुक्त हो। इस प्रकार चयनित विद्यालयों को लेब विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना है। राज्य अकादमिक समूह के द्वारा निर्णय किया गया है कि प्रत्येक डाइट स्वयं के जिले में 6 विद्यालयों को लेब विद्यालय के रूप में विकसित करे। इस क्रम में प्रत्येक डाइट तय मापदण्डों के आधार पर प्रतिवर्ष अपने जिले के 3 उत्कृष्ट एवं 3 आदर्श विद्यालयों को लेब विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए चयनित करें। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान के निर्देशन में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में तथा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर के अकादमिक मार्गदर्शन के माध्यम से किया जाना है।

लक्ष्य:- सभी बच्चों के शैक्षिक स्तर को कक्षा अनुरूप लाना व बच्चों के शैक्षिक स्तरों के बीच अंतर को कम करना।

उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एस.आई.क्यू.ई. कार्यक्रम के अन्तर्गत सीसीई, सीसीपी एवं एबीएल आधारित शिक्षण प्रक्रिया के निम्नांकित उद्देश्यों पर विद्यालयों में कार्य करने की आवश्यकता महसूस की गई-

1. बाल केन्द्रित शिक्षण के द्वारा बालक को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान देना।
2. बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना।
3. गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को रूचिकर, आनन्ददायी एवं प्रभावी बनाना।
4. ज्ञान को स्थायी एवं प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत करना।
5. बच्चों में सृजनात्मकता एवं मौलिक चिन्तन का विकास करना।
6. बच्चों के स्तर के अनुरूप शिक्षण योजना अनुसार शिक्षण करते हुए शैक्षणिक प्रगति को दर्ज करना।
7. बच्चों को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए उनके संज्ञानात्मक एवं व्यक्तित्व विकास के अवसर प्रदान करना।
8. बच्चों के गुणात्मक विकास के साथ-साथ नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना।

9. बच्चों की प्रगति को अभिभावकों के साथ नियमित रूप से साझा करना।

इस प्रकार उपरोक्त उद्देश्यों की सम्प्राप्ति हेतु सत्र 2017–18 से डाइट के तत्वावधान में प्रतिवर्ष 6 विद्यालयों (3 आदर्श और 3 उत्कृष्ट) का चयन लेब विद्यालय के रूप में किया जाकर उन्हें सम्बलन प्रदान किया जाता है।

अधिकारियों द्वारा किए जा रहे संबंलन/अवलोकन को आकलन प्रपत्र के माध्यम से निर्धारित लिंक http://tinyurl.com/siqe-assessment-2018 पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्रस्तावित गतिविधियाँ:–

चयनित विद्यालय को लेब विद्यालय के रूप में विकसित कर उनमें एसआईक्यूई के उद्देश्यों के अनुसार गुणवत्ता सुधार कर सकें। इस हेतु अग्रलिखित प्रस्तावित प्रवृत्तियों/गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना है। लेब विद्यालयों में साप्ताहिक/पाक्षिक समयान्तराल पर संचालित की जाने वाली बुनियादी गतिविधियाँ (Basic Activities in Lab Schools) इस प्रकार हैं–

1. भित्ती पत्रिका निर्माण (Wall Painting)
2. भाषा विकास अभ्यास (Language Practice)
3. दिन की कविता (Poetry of the Day)
4. दिन का स्केच (Sketch of the Day)
5. पठन आदतों का विकास (खुला पुस्तकालय) {Development Reading Habits (Open Library)}
6. शतरंज के खेल को प्रोत्साहन (Promotion of Chess)
7. हावभाव के साथ कवितापाठ (Rhyme with action)
8. थीम पर नाटक करना (Drama)
9. किताबों की दुकान (Concept of Book Shop)
10. संगीत की अवधारणा (Music concept)
11. विद्यालय अभिलेख संधारण में सुधार (Improvement in School Records Keeping)
12. बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना एवं जिज्ञासु प्रवृति को बढ़ावा देना (Provide opportunity to children about to develop scientific attitude and promot curiocity.)

उक्त गतिविधियाँ विद्यालयों में प्रथम त्रैमासिक में ही प्रभावी ढंग से क्रियान्वित होती हुई नजर आनी चाहिए तथा दूसरे त्रैमासिक में विद्यालय के बच्चों में इसका प्रभाव नजर आना अपेक्षित है। इनमें से कुछ गतिविधियाँ और उनके चरण इस प्रकार है–

- **भित्ती पत्रिका (Wall Painting):-** विद्यालय समय में बच्चों द्वारा कई तरह के रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। यह रचनात्मक कार्य प्रत्येक बच्चे की क्षमता और कौशल के द्वारा विभिन्न तरह से किए जाते हैं, जैसे– मनपसन्द के चित्र, कविता, कहानी, विचार, चुटुकले, मौलिक रचना, पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने के बाद उससे स्वयं की समझ या विचारों का लेख हो सकते हैं। शुरूआत में विद्यालय में कुछ ही बालक इस तरह की गतिविधियों में भाग लेंगे। शिक्षक अन्य बालक–बालिकाओं को भी प्रोत्साहन द्वारा अभिप्रेरित करें एवं उनके द्वारा तैयार सामग्री को विद्यालय के गतिविधि कार्नर में साप्ताहिक/पाक्षिक रुप से प्रदर्शित करें।
- **प्रार्थना सभा संचालन:–** प्रार्थना सभा में विद्यालय की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, जिससे दिन की शुरूआत होती है। विद्यालय में प्रतिदिन होने वाली यह एकमात्र गतिविधि है, जिसमें बच्चे और स्टॉफ सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। प्रार्थना सभा के संचालन में बच्चों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी ली जानी अपेक्षित है। इसके लिए बच्चों के समूह (हाऊस) बनाकर उन्हें अलग–अलग जिम्मेदारी दी सकती है। सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए अलग–अलग हाऊस को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रार्थना सभा संगीतमय हो इसके लिए स्थानीय वाद्ययन्त्रों (ढोलक, मंजीरा, ढपली, हारमोनियम, इत्यादि) का उपयोग किया जाए। प्रार्थना सभा में नियमित रूप से छात्र–छात्राओं को बदलते हुए क्रम में दैनिक समाचार पत्र के वाचन का अवसर दिया जावे। प्रेरणास्पद कहानी, दोहों का सामूहिक वाचन करवाया जावे। प्रार्थना सभा में कुछ चयनित बाल–मित्र गतिविधियाँ जैसे आज का दीपक, आज का गुलाब, मन की बात, खोया–पाया आदि का संचालन किया जाए।
- विद्यालय परिसर के बरामदे में आदमकद दर्पण (शीशा) 1¼X4 फीट का लगाया जाना है। इसकी खरीद विद्यालयों में की जा चुकी है, यदि अभी तक नहीं खरीदा गया है तो स्वच्छता राशि के मद से की जावे। इस

दर्पण को ऐसी जगह लगवाएँ, जहाँ बच्चे बिना झिझक के उसका इस्तेमाल कर सकें। दर्पण पर **"Am I looking smart?"** लिखवाया जावे। इसके पास कंघा और बालों में लगाने का तेल भी रखवाया जाए।

- **बालसभा का आयोजनः–** प्रत्येक शनिवार को बालसभा का आयोजन किया जाए तथा माह के किसी एक शनिवार को बालसभा का आयोजन समुदाय में स्थित सार्वजनिक स्थल पर किया जाए। बालसभा का आयोजन ऐसे स्थान पर किया जाए, जहाँ समुदाय के लोग बैठकर बच्चों की अकादमिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को देख सकें। बालसभा में विद्यार्थियों को प्रस्तुति करने के अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाएं।
- **House of the School:-** विद्यालय में कक्षावार बच्चों के हाऊस बनाएं। हाऊस का नाम प्रत्येक कक्षा में एक समान हो, यह महापुरूषों, वैज्ञानिकों, कलाकार, नदियों, ग्रहों या रंगों (ग्रीन, यलो, रेड, ब्ल्यू, पिंक, व्हाईट) आदि के नाम से हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा 5 में नामांकित सभी बालकों को वैज्ञानिक न्यूटन, अल्बर्ट आइन्सटाईन, सी.वी.रमन, भाभा, आर्यभट्ट और वराह मिहिर का नाम देकर छः समूह में बांटा जा सकता है। इन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पर विद्यालय की सभी कक्षाओं के बालक–बालिकाओं के छः समूह बनाए जा सकते हैं। प्रार्थना सभा संचालन की जिम्मेदारी प्रतिदिन अलग–अलग समूह को दी जा सकती है।
- **Crowd Fund:-** विद्यालय विकास के लिए अभिभावको एवं छात्र–छात्राओं आर्थिक अंशदान/योगदान के लिए प्रेरित किया जाए। यह अंशदान 1 रूपए से लेकर उनकी स्वेच्छा से दी जाने वाली राशि का हो सकता है। विद्यालय प्रबन्धन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति का 80 जी के तहत पंजीकरण करवाया जाए। यदि एसएमसी/एसडीएमसी का पहले से 80 जी के तहत पंजीकरण किया हुआ है तो अभिभावकों एवं भामाशाहों को विद्यालय विकास हेतु दिए गए आर्थिक सहयोग पर मिलने वाली आयकर में छूट की जानकारी भी दी जाए।
- **मेरा बचपन मेरा स्कूल (Alumni Meet) :–** विद्यालय से पढ़कर निकले (पूर्व छात्रों) सफल व्यक्तियों के बारे में संस्था प्रधान स्थानीय पंचायत एवं गाँव के लोगों से जानकारी प्राप्त करें एवं सभी के सहयोग से उनके लिए एल्यूमिन मीट (पूर्व छात्र स्नेह मिलन) कार्यक्रम का आयोजन करें।

उक्त के अतिरिक्त निम्न बाल–मित्र गतिविधियों के बारे में चर्चा की जा सकती है–

- **आज की गुलाबः–** विद्यालय में साफ–सुथरी विद्यालय पौशाक में नहा–धोकर कंघी करके आने वाले बच्चे को आज का गुलाब सम्बोधित किया जावे एवं उसका नाम विद्यालय परिसर के बरामदे में लिखा जाए, जिससे आगन्तुक उसे देख सके। बच्चे को **आज का गुलाब** लिखा टेग गले में पूरे दिन के लिए पहनने के लिए दिया जाए।
- **आज का दीपकः–** विद्यालय में अध्ययनरत बालक–बालिका को उसके जन्मदिवस पर प्रार्थना सभा में **आज का दीपक** के नाम से सम्बोधित किया जावे। प्रार्थना सभा में इस बालक को **आज का दीपक** लिखा टेग पहनाया जाए तथा सभी बच्चों और विद्यालय स्टाफ के द्वारा ताली बजाकर समवेत स्वर में **"Happy Birthday to you"** बोलते हुए उसे बधाई दी जावे। यह टेग उसे उस दिन पहनने के लिए दिया जाए।
- **मन की बातः–** एक डिब्बा, जिस पर **मन की बात** लिखा टैग लगा हो, बनाया जाए। यह डिब्बा विद्यालय में ऐसे स्थान पर रखा जाए जो प्रत्येक विद्यार्थी की पहुँच में हो। इस डिब्बे में बच्चों को विद्यालय में उनके द्वारा महसूस किए गए किसी भी अच्छे या बुरे अनुभव को पर्ची पर लिखकर डालने के लिए प्रेरित किया जावे। पर्ची पर बच्चों को नाम नहीं लिखने का निर्देश अवश्य देवें। मन की बात के डिब्बें में आए विद्यार्थियों के विचारों को अगले दिन प्रार्थना सभा का संचालन करने वाले दल के द्वारा प्रार्थना सभा के दौरान सभी बच्चों और स्टॉफ के सामने पढ़कर सुनाया जावे। विद्यालय एवं समुदाय स्तर पर निस्तारण होने योग्य समस्या का निवारण किया जाए तथा सुझावों को अमल में लाया जाए। उच्च स्तर से निस्तारण योग्य समस्या/सुझावों को यथा स्थान पर पहुँचाया जाए।

लेब विद्यालय विकसित करने के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डर्स और उनके दायित्वः–

- **डाईट के दायित्वः–**

➢ डाईट में एक फेकल्टी को एक विद्यालय (सत्रवार चयनित विद्यालय) की जिम्मेदारी दी जावे, उस विद्यालय में अकादमिक सम्बलन हेतु प्रतिमाह कम से कम एक बार पर्यवेक्षण विजिट करे।

➢ डाईट में अध्ययनरत शिक्षक विद्यार्थियों एवं विभिन्न प्रशिक्षणों में सेवारत अध्यापकों से लेब विद्यालय की आवश्यकतानुसार टीएलएम, कार्यपत्रक तैयार करवाया जावे।

- तैयार सामग्री को लेब विद्यालयों में उपलब्ध करवाकर उपयोग सुनिश्चित करना।
- डाइट के विभिन्न प्रभागों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में टीएलएम, कार्यपत्रक, गतिविधियाँ तैयार कर लेब विद्यालयों को उपयोग हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करना।
- जिले में प्रतिमाह होने वाली जिला अकादमिक समूह की बैठक में लेब विद्यालय की प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना पर चर्चा करे तथा इन विद्यालयों में होने वाले बेहतर प्रयासों को सभी सदस्यों के साथ साझा किया जावे।
- जिले के लेब विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कार्य करवाने वाले शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यशालाओं का आयोजन करे तथा सम्बलन विजिट के दौरान उसका फॉलोअप सुनिश्चत करे।
- इन लेब विद्यालयों की प्रगति को प्रतिमाह राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के साथ साझा करे।
- प्रतिवर्ष जिले के लेब विद्यालयों की शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों का तुलनात्मक विवरण बनाते हुए प्रतिवेदन निदेशालय प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को भिजवाना।

• **जिला स्तरीय अधिकारी :–**

- लेब विद्यालयों में आवश्यक मानवीय संसाधन उपलब्ध करवाए।
- जिले में होने वाली जिला कोर समूह (डीसीजी) और जिला अकादमिक समूह (डीएजी) की बैठक में लेब विद्यालय की प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना पर चर्चा करे तथा इन विद्यालयों में होने वाले बेहतर प्रयासों को सभी सदस्यों के साथ साझा किया जावे।
- जिला निष्पादन समिति की बैठक में लेब विद्यालय सम्बन्धित प्रगति साझा करे।
- जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह सभी लेब विद्यालयों की कम से कम एक मॉनिटरिंग विजिट एवं सम्बलन प्रदान किया जावे तथा प्राप्त अनुभव डाईट प्रभारी के साथ साझा किये जावे।
- समय–समय पर डाईट से लेब विद्यालय की प्रगति के सन्दर्भ में चर्चा करे।

• **समग्र शिक्षा अभियान के दायित्वः–**

- राज्य स्तर पर होने वाले नवाचार को लेब विद्यालयों को प्राथमिकता से करवाए जैसे स्मार्ट कक्षाए, एबीएल किट उपलब्ध करवाए।
- डाइस डेटा के आधार पर विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का विश्लेषण करें एवं जरूरतानुसार भौतिक संसाधन यथा बिजली, पानी, शौचालय, कक्षा–कक्ष उपलब्ध करवाए।
- पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, खेल सामग्री, कम्प्यूटर, फर्नीचर, इन्स्युलेटर उपलब्ध करवाए।

• **ब्लॉक स्तरीय अधिकारी के दायित्वः–**

- लेब विद्यालय की मॉनिटरिंग करते हुए आवश्यक सम्बलन प्रदान करें।
- लेब विद्यालयों की प्रगति से डाईट को अवगत करवाए।

• **पीईईओ के दायित्वः–**

- अपने परिक्षेत्र में स्थित लेब विद्यालय की प्रतिमाह एक सम्बलन विजिट करे।
- लेब विद्यालय के समस्त स्टॉफ के साथ बैठक कर आवश्यकतानुसार सुझाव दें।
- ग्राम पंचायत में होने वाली साधारण सभा या मासिक बैठक में लेब विद्यालय की प्रगति को साझा करते हुए आवश्यकता सुझाव प्राप्त करे।
- लेब विद्यालय के लिए आवश्यक भौतिक संसाधन ग्राम पंचायत के सहयोग से उपलब्ध करवाए।
- लेब विद्यालय की प्रगति से डाईट को समय–समय पर अवगत करवाए।

• **संस्था प्रधान के दायित्वः–**

- कक्षा–कक्ष का नियमित पर्यवेक्षण करे तथा आवश्यक अकादमिक सम्बलन प्रदान करे।
- विद्यालय की भौतिक आवश्यकताओं की पहचान करें तथा सम्बन्धित अधिकारी एवं विभाग को अवगत करवाए।

- विद्यालय के अध्यापकों और एसएमसी की मदद से विद्यालय की वर्तमान जरूरतों के अनुसार शैक्षिक, सहशैक्षिक, भौतिक लक्ष्य निर्धारित करे एवं तदनुसार विद्यालय विकास योजना तैयार करे।
- विद्यालय की भौतिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु पंचायत में प्रस्ताव रखना एवं पंचायत से आवश्यक सहयोग प्राप्त करे।
- विद्यालय स्टॉफ की मासिक बैठक करें, उसमें शैक्षिक एवं सहशैक्षिक मुद्दों पर चर्चा करे। अध्यापकों को शिक्षण के दौरान आ रही अकादमिक चुनौतियों के बारे में डाईट को अवगत करवाए।
- विद्यालय की भौतिक जरूरतों के बारे में पंचायती राज सदस्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर अवगत करवाए।
- लेब विद्यालय में जरूरतों के लिए स्थानीय भामाशाहों से सम्पर्क कर उन्हें विद्यालय में सहयोग के लिए प्रेरित करे।
- जिन सूचकों की स्थिति विद्यालय में आंशिक या नहीं आती है, संस्था प्रधान उनका प्रतिमाह विद्यालय स्टॉफ के साथ बैठक में समीक्षा करे एवं अगले माह की योजना में उस पर सुधार हेतु कार्ययोजना बनावे।
- बनी कार्ययोजना के आधार पर स्टाफ के साथ काम करते हुए निर्धारित सूचक की पूर्णता की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करे।

- **अध्यापक के दायित्वः–**

- विषयाध्यापक एस.आई.क्यू.ई. की भावना के अनुरूप अपने विषय का कक्षा–कक्ष में शिक्षण करवाए।
- बाल केन्द्रित शिक्षण के द्वारा बालक को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करना।
- आधार रेखा मूल्यांकन (बेस लाईन परीक्षण)/पदस्थापन द्वारा कक्षा को कक्षा स्तर एवं कक्षा स्तर से न्यून समूह में विभाजित करना।
- प्रकरण के आधार पर अवधारणा (CONCEPT) को उदाहरण/टीएलएम के अनुसार स्पष्ट करना।
- अवधारणा आधारित प्रश्न कर छात्रों से सही उत्तर प्राप्त करना और उसे अभिप्रेरित करना।
- कक्षा में जिन विद्यार्थियों द्वारा समझ में आये अवधारणा के अनुसार प्रश्नों के सही उत्तर दिये गये है, ऐसे 5–6 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को चिन्हित करना।
- बेसलाईन/पदस्थापन परीक्षण के अनुसार उप समूह के विद्यार्थियों को चिन्हित करना।
- कक्षा के कुल विद्यार्थियों को शिक्षण हेतु पांच या छः समूह में विभक्त कर प्रत्येक समूह में चिन्हित किये गये उत्कृष्ट, सामान्य एवं कक्षा स्तर से न्यून समूह के विद्यार्थियों का मिश्रित समूह निर्माण करना।
- प्रत्येक समूह में उत्कृष्ट विद्यार्थी को समूह का लीडर बनाकर अवधारणा पर आधारित कक्षा कार्य, जिसमें वाक्य निर्माण, प्रश्नों को हल करना आदि समूहगत गतिविधि निर्धारित समयावधि में करने हेतु प्रेरित करना।
- अध्यापक द्वारा प्रत्येक समूह को प्रेरित करना तथा कार्य को प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करना।
- निर्धारित समयावधि लगभग 1 घंटा प्रत्येक समूह को दिये गये लक्ष्य के आधार पर कक्षा कार्य में व्यस्त कर अध्यापक उक्त समय का उपयोग अन्य कक्षाओं को अवधारणा समझाने तथा बीच–बीच में कार्य कर रहे बच्चों को आवश्यक संबलन प्रदान करे।
- निर्धारित समय पश्चात् प्रत्येक समूह द्वारा किये गये कार्य की जाँच (भिन्न स्याही से करें) एवं सुधार कार्य करते हुए समूह को अंक प्रदान करते हुए, प्रथम और द्वितीय घोषित करना। बाल केन्द्रित शिक्षण के दौरान इस प्रकार बनाये गये समूहों को स्थायी समूह न बनाया जाकर अलग–अलग गतिविधियों में समूहों का निर्धारण किया जावें।
- सभी समूह द्वारा किये गये कार्य को प्रत्येक विद्यार्थी को सुस्पष्ट एवं सुन्दर अक्षरों में लिखवाना तथा याद कराना।
- बनाई गई योजना की क्रियान्विति में पीयर समूह की अवधारणा देते हुए एस.आई.क्यू.ई. के उद्देश्यों की पूर्ति करना।
- शिक्षण के दौरान रचनात्मक आकलन करते हुए चैकलिस्ट में विद्यार्थियों की प्रगति को सतत रूप से नियमित दर्ज करना।
- प्रत्येक टर्म की समयावधि के अन्तिम सप्ताह में प्रत्येक विद्यार्थी का योगात्मक आकलन दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

- पोर्टफोलियों का नियमित संधारण के लिए शिक्षक विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यपत्रक, व्यक्तिगत कार्य एवं हल किए गए रचनात्मक/योगात्मक आकलन प्रपत्र में प्रत्येक प्रश्न को जाँच कर सकारात्मक टिप्पणी दर्ज करते हुए सुधारात्मक कार्य करवाने के पश्चात् पोर्टफोलियों में संधारित करे।
- विद्यार्थियों की प्रगति को नियमित रूप से अभिभावकों के साथ साझा करे।

- **अभिभावक के दायित्वः–**

- नियमित रूप से विद्यालय में जाएँ तथा विषयाध्यापकों से अपने बच्चे की प्रगति जानने का प्रयास करें।
- अपने बच्चे के पोर्टफोलियो का समय–समय पर अवलोकन करें तथा शिक्षकों से करवाए जा रहे कार्य के बारे में चर्चा करें।
- नियमित रूप से बच्चे से विद्यालय में विभिन्न विषयों में शिक्षकों द्वारा करवाए कार्य की प्रगति पर ध्यान दें।
- विद्यालय में होने वाले उत्सवों, जयन्तियों एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होवें।
- अध्यापक अभिभावक परिषद बैठक में भाग लेकर अपने बच्चे की प्रगति जाने तथा अपनी अपेक्षाओं को विद्यालय स्टाफ के साथ साझा करे।

इस प्रकार सभी अपने–अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए चयनित विद्यालयों को लेब विद्यालय के रूप में विकसित करने का निरन्तर प्रयास करें। राज्य स्तर से वांछित सहयोग हेतु जिला स्तरीय बैठकों में राज्य स्तरीय अधिकारियों को आमंत्रित किया जावें।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती
राज विभाग (प्रा.शि.) विभाग,
राजस्थान, बीकानेर